

दिनांक – 7 अप्रैल 2015

## नमस्कार मित्रों

इस बार के आरटीई नियमों के कुछ बदलाव किये हैं सरकार ने। आप कृप्या ध्यान पूर्वक ही एडमीशन करें। मैंने ये सारे नियम अपनी वेबसाईट शिक्षा परिवार डॉट कॉम पर डाल दिये हैं। आप अध्ययन करके ही एडमीशन करें। दो अहम बदलाव तो निम्न हैं –

एन्ड्री क्लास पहले दो होती थी। अर्थात् कक्षा प्रथम एवं यदि कोई विधालय प्रथम से पहले कोई कक्षा चलाता था, तो उसमे भी एडमीशन ले सकता था। अर्थात् आप एक सत्र मे दो कक्षाओं मे आरटीई के तहत एडमीशन ले सकते थे। एडमीशन की अधिकतम उम्र पहले 6 वर्ष थी, अब ऐसा नहीं है। 25 प्रतिशत एडमीशन भी अब कन्फर्म नहीं है क्योंकि यदि आपके विधायलय मे शेष 75 प्रतिशत एडमीशन पूर्ण नहीं होते हैं तो आपके जितने एडमीशन हुए हैं उनके आधार पर ही एडमीशन अर्थात् उनके 25 प्रतिशत को ही आरटीई मे माना जायेगा।

---

कुछ जगह से सूचना आ रही है कि बीईओ /डीईओ के यहाँ से फीस निर्धारण का पोर्टल भरने के नोटिस दिए जा रहे हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब फीस एकट ही सरकार वापस ले रही है जिसकी घोषणा स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा एवं अलवर व चित्तौगड़ मे कर दी है तो फिर क्यों पोर्टल भरने मे समय खराब किया जाये। फिर भी आप और सावधानी बरतना चाहते हैं तो अपनी वेबसाईट पर आज ही मैं उसका उत्तर बना कर डाल देता हूँ। आप उसे अपने लैटर पैड पर लिख कर सम्बन्धित अधिकारी को भिजवा देवे।

—हमे एक बात के लिए सरकार का धन्यवाद करेगे कि वह हमारी मॉगो पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए पुराने नियमो मे काफी बदलाव करने जा रही है तथा सरकार ने इसकी पहल भी कर दी है।

पहले सरकार ने बीकानेर मे एक सेमीनार रखी थी, एवं अब 11 अप्रैल को जयपुर मे एक मीटिंग रख कर वह नियमो मे बदलाव के बारे मे हमारे विचार जानना चाहती है।

दोस्तो मैंने तीन चार राज्यों के नियमो का अध्ययन कर लिया है एवं तैयारी कर ली है।

---

आप अपने जिले या नजदीकी साथियों से कहे कि वे जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉट्सअप लेवे एवं हमसे जुड़े अथवा अपनी वेबसाईट शिक्षा परिवार डोट कॉम देखते रहे ताकि उन्हे जानकारी रेगूलर मिलती रही।

अनिल शर्मा

CONFIDENTIAL